प्रेषक,   संख्या:– 313/1-11-2015–राजस्व–11

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास, नगर विकास एवं लोक निर्माण विभाग।

राजस्व अनुभाग–11   लखनऊ : दिनॉक :: 02 जून, 2015

विषयः भूकम्प के दृष्टिकोण से भवनों को भूकम्परोधी तकनीक से बनाये जाने तथा कमजोर/संवेदनशील भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे/रेट्रोफिटिंग किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके संबंध में अभी तक कोई पूर्वानुमान किया जाना सम्भव नही है। प्रदेश का एक बड़ा भू–भाग भूकम्प के प्रति अति–संवेदनशील श्रेणी में आता है। यह भू–भूभाग अत्यधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण यहां भूकम्प आने की स्थिति में प्रदेश के लिये गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भूकम्प के आने पर सर्वाधिक जन–धन हानि भवनों, इमारतो, मकानों आदि के गिरने/ढहने से होती है।

2– इस संबंध में उल्लेख करना है कि प्रदेश के 31 जनपद सिस्मिक जोन–IV में आते है जो भूकम्प के दृष्टिकोण से High Risk Zone में हैं। जनपद बागपत, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, अमरोहा, कुशीनगर, महराजगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर तथा सिद्धार्थनगर का सम्पूर्ण भू–भाग सिस्मिक जोन–IV में पड़ता है। इसी प्रकार जनपद अलीगढ़, बहराइच, बलिया, संतकबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, बस्ती, बदांयू, बुलंदशहर, देवरिया, गोण्डा, गोरखपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर तथा सीतापुर के अधिकांश भू–भाग सिस्मिक जोन–IV के अन्तर्गत आते है।

3– पड़ोसी देश नेपाल में गत दिनों आये 7.9 रिक्टर स्केल के भूकम्प एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में महसूस किये गये इसके झटकों ने भवनों एवं अधि–संरचनाओं के भूकम्परोधी व मजबूत होने की आवश्यकता को अधिक प्रासंगिक बना दिया है। भूकम्प की उक्त घटना से प्रदेश में 19 व्यक्तियों की मृत्यु, 123 घायल व व्यापक स्तर पर संरचनाओं की क्षति हुई है।

4– इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.04.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भवन सुरक्षा हेतु सभी अधि–संरचनाओं विशेषतः लाइफलाइन बिल्डिंग्स कहे जाने वाले भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे एवं रेट्रोफिटिंग किये जाने का सुझाव दिया गया है। इस हेतु यदि किसी प्रकार के तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचित किये जाने का भी अनुरोध किया गया है।

5– भूकम्प के प्रति प्रदेश की उक्त वल्नेरेबिलिटी के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी नये बनाये जाने वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाया जाए तथा पूर्व निर्मित अधि–संरचनाओं/भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे कराकर भूकम्परोधी उपाय यथा–रेट्रोफिटिंग आदि सुनिश्चित किया जाय। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिनके द्वारा भवन उपविधि संहिता (बिल्डिंग बाइलॉज कोड) में भवनों आदि के निर्माण में भूकम्परोधी तत्वों को सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन किया जा चुका है।

6– अतः अनुरोध है कि भूकम्प से भवन सुरक्षा हेतु त्वरिंत व प्रभावी उपाय किया जाय। समस्त बनाये जाने वाले नये भवनों का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से किये जाने तथा पूर्व निर्मित भवनों–मुख्यतः लाइफलाइन बिल्डिंग्स कहे जाने वाले भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे कराकर उनमें रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7– शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार की गयी कार्यवाही से राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
2– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3– समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त

all letters – 2

FROM :ResCommr UPN D FAX NO. :011 23715604 01 May 2015 12:47 P 1

No. 2445 /MS/SG/2015

Smt. Neelkamal Darbari, IAS
Joint Secretary & Advisor

सत्यमेव जयते

National Disaster Management Authority
Government of India
NDMA Bhawan
A-1, Safdarjung Enclave
New Delhi-110 029
Tel. : +91 11 26701817/26701867 Fax : +91 11 26701717
E-mail : neelkamal.d@nic.in; jsadm@ndma.gov.in

29th April, 2015

D.O.No. 5/1/2015-RR

Dear Leena,

The recent earthquake measuring 7.9 on the Richter Scale has again highlighted the vulnerability of buildings and structures in our country to earthquakes. Your state has also suffered in terms of loss of lives & assets, particularly due to collapsing structures. Therefore, there is a need to assess the vulnerability of the existing buildings and structures against Earthquake and to take requisite corrective measures to make these buildings earthquake resilient.

ARC (AKS)

30/4/15

National Disaster Management Authority (NDMA), suggests that Rapid Visual Survey (RVS) of all vulnerable buildings and structures in general and critical/Lifeline buildings and infrastructures in particular may be got carried out. If the State Government needs any technical assistance on these aspects, then, NDMA may be informed so that we can arrange for assistance in carrying out RVS and Retrofitting measures.

R.O.

With regards.

Yours sincerely,

(Neelkamal Darbari)

SIDMA

7-5-15

FAX

Ms. Leena Nandan, IAS
Resident Commissioner
UttarPradesh
NBCC Palace, Upper Ground
Bishma Pitamah Marg
Opposite Sai Mandir, Lodhi Road
New Delhi-110003

प्रमुख स्टाफ अधिकारी
मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन लखनऊ

महोदय, पत्र की प्रति आपके संज्ञानार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/5/15

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर स्थानिक आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन
नई दिल्ली